

सं. डी-15020/95/2016 - आरडी
भारत सरकार का आयुष मंत्रालय

बी - ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स,
आयुष भवन, आईएनए मार्केट के पीछे,
नई दिल्ली - 110023,
दिनांक 08 फरवरी, 2018

सेवा में,
महानिदेशक आई/सी,
केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद,
61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, “डी” ब्लॉक के सामने,
जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058।

विषय: सीसीआरयूएम में विभिन्न पदों के लिए आरआर में संशोधन के संबंध में

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 5-6/2016-सीसीआरयूएम/प्रतिष्ठ. दिनांकित 04/09/2017 के आपके पत्र का संदर्भ लेने और इसके साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित निम्नलिखित पदों का आरआर अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है: -

- i. निदेशक, सीआरआईयूएम, हैदराबाद/डीडीजी (मुख्यालय)
- ii. उपनिदेशक (यूनानी), सीआरआईयूएम, हैदराबाद और उप निदेशक (यूनानी)/सहायक निदेशक (यूनानी), आरआरआईयूएम और मुख्यालय
- iii. सहायक निदेशक (रोगविज्ञान)
- iv. सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान)
- v. सहायक निदेशक (वनस्पति विज्ञान)
- vi. प्रशासनिक अधिकारी
- vii. अनुसंधान अधिकारी (भेषज विज्ञान)
- viii. अनुसंधान अधिकारी (वनस्पति विज्ञान/भेषज विज्ञान)

- ix. अनुसंधान अधिकारी (रसायन विज्ञान)
- x. अनुसंधान अधिकारी (रोगविज्ञान)
- xi. अनुसंधान अधिकारी (जैव-रसायन विज्ञान)
- xii. अनुसंधान अधिकारी (नैदानिक भेषज विज्ञान)
- xiii. अनुसंधान अधिकारी (शरीर क्रिया विज्ञान)
- xiv. अनुसंधान अधिकारी (प्रकाशन)
- xv. अनुसंधान अधिकारी (सांख्यिकी)
- xvi. अनुसंधान अधिकारी (यूनानी)

2. परिषद तदनुसार पदों को भरने के लिए आगे की कार्यवाही कर सकती है

भवदीय,

संलग्नक उपरोक्तानुसार

(शीला तिर्की)

अवर सचिव, भारत सरकार

निदेशक, सीआरआईयूएम हैदराबाद और उप महानिदेशक, मुख्यालय के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	निदेशक, सीआरआईयूएम, हैदराबाद और उप महानिदेशक, मुख्यालय
2.	पदों की संख्या	02 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान	वेतनमान-3 (रु.15600-39100)+ग्रेड वेतन रु. 7600+एनपीए जैसा कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार स्वीकार्य है।
5.	चयन या गैर-चयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	45 वर्ष तक (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त सांविधिक बोर्ड/विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में 10 वर्ष का शोध/शिक्षण में अनुभव। 3. सीसीआईएम के केंद्रीय रजिस्टर या आयुष के राज्य रजिस्टर में नामांकन। 4. किसी जिम्मेदार पद पर प्रशासनिक अनुभव। वांछनीय : अस्पताल प्रबंधन/प्रशासन में डिप्लोमा।

8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	सीधी भर्ती के लिए 01 वर्ष पदोन्नति के लिए शून्य
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल होने पर प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों में विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/अल्पकालिक संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जानी है	पदोन्नति : रु.15600-39100+6600/- के वेतनमान में उपनिदेशक (यूनानी)/सहायक निदेशक (यूनानी) के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ प्रतिनियुक्ति: प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों/अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों सहित केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी: 1. नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को पूरा करना। या 2. वेतनमान रु. 15600-39100+6600 या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड वेतन रु. 5400/- के साथ वेतनमान-3 में 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता रखने वाला। ध्यान दें 1 - प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी जिसे प्रदर्शन के आधार पर 5 वर्ष

		तक बढ़ाया जा सकता है, ध्यान दें 2 - आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12.	यदि कोई डीपीसी/चयन समिति है तो उसकी संरचना क्या है	1. सचिव (आयुष) या संयुक्त सचिव के दर्जे से नीचे का नहीं उसका नामिती - अध्यक्ष 2. विषयवार एक तकनीकी विशेषज्ञ/शासी निकाय/वैज्ञानिक सलाहकार समिति का सदस्य - सदस्य 3. चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय के दो विशेषज्ञ - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि - सदस्य 5. महानिदेशक, सीसीआरयूएम, नई दिल्ली - सदस्य सचिव

उपनिदेशक, सीआरआईयूएम, हैदराबाद और उपनिदेशक (यूनानी)/सहायक निदेशक (यूनानी),
आआरआईयूएमएस व मुख्यालय के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	उपनिदेशक, सीआरआईयूएम, हैदराबाद और उपनिदेशक (यूनानी)/सहायक निदेशक (यूनानी), आआरआईयूएमएस व मुख्यालय
2.	पदों की संख्या	9+4=13 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान	वेतनमान-3 (रु.15600-39100) + ग्रेड वेतन रु. 6600 + एनपीए जैसा कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार स्वीकार्य है।
5.	चयन या गैर-चयन पद	गैर-चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	45 वर्ष तक (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त सांविधिक बोर्ड/विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय में शोध/शिक्षण में 05 वर्ष का अनुभव। 3. सीसीआईएम के केंद्रीय रजिस्टर या आयुष के राज्य रजिस्टर में नामांकन। वांछनीय: किसी जिम्मेदार पद पर कम से कम 03 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित	लागू नहीं

	आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों में विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/अल्पकालिक संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जानी है	पदोन्नति: ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ अनुसंधान अधिकारी (यूनानी)। प्रतिनियुक्ति: प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों/अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों सहित केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी: 1. नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को पूरा करना। या 2. वेतनमान रु. 15600-39100+5400 या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता रखने वाला। ध्यान दें 1 - प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी जिसे प्रदर्शन के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ध्यान दें 2 - आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12.	यदि कोई डीपीसी/चयन समिति है तो उसकी संरचना क्या है	1. सचिव (आयुष) या संयुक्त सचिव के दर्जे से नीचे का नहीं उसका नामिती - अध्यक्ष 2. विषयवार एक तकनीकी विशेषज्ञ/शासी निकाय/वैज्ञानिक सलाहकार समिति का सदस्य - सदस्य 3. चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय के दो विशेषज्ञ - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि - सदस्य 5. महानिदेशक, सीसीआरयूएम, नई दिल्ली - सदस्य सचिव
-----	--	---

सहायक निदेशक (रोगविज्ञान) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सहायक निदेशक (रोगविज्ञान)
2.	पदों की संख्या	01 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान	वेतनमान-3 (रु.15600-39100) + ग्रेड वेतन रु. 6600 + एनपीए जैसा कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार स्वीकार्य है।
5.	चयन या गैर-चयन पद	गैर-चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	45 वर्ष तक (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक : 1. एमसीआई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रोगविज्ञान में एमडी। 2. स्नातकोत्तर के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय में रु. 15600-39100 रुपये + ग्रेड वेतन रु. 5400/- के वेतनमान पर 5 वर्ष की नियमित सेवा या रु. 4800 के ग्रेड वेतन पर 6 वर्ष की नियमित सेवा।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष

10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	100% पदोन्नति द्वारा, जिसमें विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसमें विफल होने पर दोनों सीधी भर्ती द्वारा
11.	ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/अल्पकालिक संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जानी है	पदोन्नति: ग्रेड में न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ रोगविज्ञान में अनुसंधान अधिकारी के संवर्ग से। प्रतिनियुक्ति: प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों/अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों सहित केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी: 1. नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को पूरा करना। या 2. वेतनमान रु. 15600-39100+5400 या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता रखने वाला। ध्यान दें 1 - प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी जिसे प्रदर्शन के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ध्यान दें 2 - आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12.	यदि कोई डीपीसी/चयन समिति है तो उसकी संरचना क्या है	1. सचिव (आयुष) या संयुक्तसचिव के दर्जे से नीचे का नहीं उसका नामिती - अध्यक्ष 2. विषयवार एक तकनीकी विशेषज्ञ/शासी

		निकाय/वैज्ञानिक सलाहकार समिति का सदस्य - सदस्य 3. चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय के दो विशेषज्ञ - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि - सदस्य 5. महानिदेशक, सीसीआरयूएम, नई दिल्ली - सदस्य सचिव
--	--	---

सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान)
2.	पदों की संख्या	01 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान	वेतनमान-3 (रु.15600-39100) + ग्रेड वेतन रु.6600
5.	चयन या गैर-चयन पद	गैर-चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	45 वर्ष तक (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. स्नातकोत्तर के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय में वेतनमान (रु. 15600-39100) + ग्रेड वेतन रु. 5400/- में पाँच वर्ष की नियमित सेवा।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने	पदोन्नति द्वारा 100% जिसमें विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों में विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा

	वाली रिक्तियों का प्रतिशत	
11.	ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जानी है	पदोन्नति ग्रेड में न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ रसायन विज्ञान में अनुसंधान अधिकारी के संवर्ग से। प्रतिनियुक्ति: प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों/अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों सहित केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी: 1. नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को पूरा करना। या 2. वेतनमान रु. 15600-39100+5400 या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता रखने वाला। ध्यान दें 1 - प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी जिसे प्रदर्शन के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ध्यान दें 2 - आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12.	यदि कोई डीपीसी/चयन समिति है तो उसकी संरचना क्या है	1. सचिव (आयुष) या संयुक्त सचिव के दर्जे से नीचे का नहीं उसका नामिती - अध्यक्ष 2. विषयवार एक तकनीकी विशेषज्ञ/शासी निकाय/वैज्ञानिक सलाहकार समिति का सदस्य - सदस्य 3. चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय के दो विशेषज्ञ - सदस्य

		4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि - सदस्य 5. महानिदेशक, सीसीआरयूएम, नई दिल्ली - सदस्य सचिव
--	--	---

सहायक निदेशक (वनस्पति विज्ञान) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सहायक निदेशक (वनस्पति विज्ञान)
2.	पदों की संख्या	01 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान	वेतनमान-3 (रु.15600-39100) + ग्रेड वेतन रु.6600/
5.	चयन या गैर-चयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	45 वर्ष तक (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा 100%
11.	ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/अल्पकालिक संविदा/पुनर्नियोजन द्वारा भर्ती की जानी है	ग्रेड में न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वनस्पति विज्ञान में अनुसंधान अधिकारी के संवर्ग से।

12.	यदि कोई डीपीसी/चयन समिति है तो उसकी संरचना क्या है	1. सचिव (आयुष) या संयुक्त सचिव के दर्जे से नीचे का नहीं उसका नामिती - अध्यक्ष 2. विषयवार एक तकनीकी विशेषज्ञ/शासी निकाय/वैज्ञानिक सलाहकार समिति का सदस्य - सदस्य 3. चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय के दो विशेषज्ञ - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि - सदस्य 5. महानिदेशक, सीसीआरयूएम, नई दिल्ली - सदस्य सचिव
-----	--	---

प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	प्रशासनिक अधिकारी
2.	पदों की संख्या	पाँच (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन/वेतनमान	संशोधित रु.9300-34800 + ग्रेड वेतन 5400/
5.	चयन या गैर-चयन पद	गैर-चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। 2. सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव जिसमें से 3 वर्ष का अनुभव पर्यवेक्षी क्षमता से होना चाहिए। वांछनीय: 1. लेखा, बजट, बजटीय नियंत्रण, सरकारी नियमों और विनियमों और प्रशासनिक और प्रतिष्ठान प्रक्रियाओं के पूर्ण ज्ञान के साथ कार्मिक प्रबंधन में पर्याप्त अनुभव। 2. कंप्यूटर का ज्ञान।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं

9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों में विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	पदोन्नति ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रुपये 4200/- के वेतनमान के साथ कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों/अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों सहित केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी: 1. नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को पूरा करना। या 2. वेतनमान रु. 15600-39100+5400 या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता रखने वाला। ध्यान दें 1 - प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी जिसे प्रदर्शन के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ध्यान दें 2 - आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12.	यदि कोई चयन समिति/विभागीय	1. महानिदेशक -अध्यक्ष

	पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	2. महानिदेशक, सीसीआरयूएम द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय के दो विशेषज्ञ - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि - सदस्य
--	--	---

अनुसंधान अधिकारी (भेषज विज्ञान) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	अनुसंधान अधिकारी (भेषज विज्ञान)
2.	पदों की संख्या	03 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतनमान-3. रु. 15600-39100+ग्रेड वेतन रु. 5400/-+ एनपीए जैसा कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार स्वीकार्य है।
5.	चयन या गैर-चयन पद	गैर-चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से एमडी (भेषज विज्ञान)/एम.वी.एससी. (भेषज विज्ञान)/एम.फार्मा (यूनानी), एम.एससी. (भेषज विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ औषधीय पौधे)। ख) गैर-चिकित्सा अनुशासन के लिए स्नातकोत्तर के बाद 3 वर्ष का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों में विफल होने

	प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	पदोन्नति ग्रेड में न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ सहायक अनुसंधान अधिकारी (भेषज विज्ञान) के संवर्ग से। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों/अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों सहित केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी: 1. नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को पूरा करना। या 2. वेतनमान रु. 15600-39100+5400 या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता रखने वाला। ध्यान दें 1 - प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी जिसे प्रदर्शन के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ध्यान दें 2 - आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12.	यदि कोई चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	1. महानिदेशक - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, सीसीआरयूएम द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय के दो विशेषज्ञ - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि-सदस्य

--	--	--

अनुसंधान अधिकारी (वनस्पति विज्ञान/भेषज विज्ञान) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	अनुसंधान अधिकारी (वनस्पति विज्ञान/भेषज विज्ञान)
2.	पदों की संख्या	09 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतनमान-3, रु.15600-39100+रु. 5400/ का ग्रेड वेतन
5.	चयन या गैर-चयन पद	गैर-चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री 2. स्नातकोत्तर की डिग्री के बाद 03 वर्ष का शोध/शिक्षण अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों में विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा

	रिक्तियों का प्रतिशत	
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	आपस में वरिष्ठता के आधार पर ग्रेड में 03 वर्ष की नियमित सेवा के साथ सहायक अनुसंधान अधिकारी (भेषज अभिज्ञान/वनस्पति विज्ञान) के संवर्ग से। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों/अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों सहित केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी: 1. नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को पूरा करना। या 2. सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाला वेतनमान रु. 15600-39100+ ग्रेड वेतन 4600 में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ या वेतनमान रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ ध्यान दें 1 - प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी जिसे प्रदर्शन के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ध्यान दें 2 - आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12.	यदि कोई चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	1. महानिदेशक - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, सीसीआरयूएम द्वारा नामित किए जाने वाले दो विषय दो विशेषज्ञ-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि-सदस्य

अनुसंधान अधिकारी (रसायन विज्ञान) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	अनुसंधान अधिकारी (रसायन विज्ञान)
2.	पदों की संख्या	09 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतनमान-3 (रु.15600-39100+ ग्रेड वेतन रु. 5400/-)
5.	चयन या गैर-चयन पद	गैर-चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 2. स्नातकोत्तर डिग्री के बाद 03 वर्ष का शोध/शिक्षण अनुभव
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	100% पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों में विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा

11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	पदोन्नति 8 वर्ष की नियमित सेवा के साथ ग्रेड वेतन रु.4200/- में अनुसंधान सहायक (रसायन विज्ञान) के संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों/अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों सहित केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी: 1. नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को पूरा करना। या 2. सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाला वेतनमान रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4600 में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ या वेतनमान रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ ध्यान दें 1 - प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी जिसे प्रदर्शन के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ध्यान दें 2 - आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12.	यदि कोई चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	1. महानिदेशक-अध्यक्ष 2. महानिदेशक, सीसीआरयूएम द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय के दो विशेषज्ञ - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि - सदस्य

अनुसंधान अधिकारी (रोगविज्ञान) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	अनुसंधान अधिकारी (रोगविज्ञान)
2.	पदों की संख्या	21 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतनमान-3 (रु.15600-39100+ ग्रेड वेतन रु. 5400/-)
5.	चयन या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: क) एमसीआई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रोगविज्ञान में एम.डी. ख) एमसीआई के केंद्रीय रजिस्टर या चिकित्सा परिषद के राज्य रजिस्टर में नामांकन
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा 100%

11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	लागू नहीं
12.	यदि कोई चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	1. महानिदेशक-अध्यक्ष 2. महानिदेशक, सीसीआरयूएम द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय के दो विशेषज्ञ - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्य समुदाय का प्रतिनिधि - सदस्य

अनुसंधान अधिकारी (जैव-रसायन विज्ञान) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	अनुसंधान अधिकारी (जैव-रसायन विज्ञान)
2.	पदों की संख्या	09 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतनमान-3 (रु.15600-39100+ ग्रेड पे रु. 5400/-) + एनपीए, जो भी लागू हो
5.	चयन या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: क) एमसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान से जैव-रसायन विज्ञान में एम.डी. ख) एमसीआई के केंद्रीय रजिस्टर या चिकित्सा परिषद के राज्य रजिस्टर में नामांकन, जैसा कि लागू हो
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा 100%

11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	लागू नहीं
12.	यदि कोई चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	1. महानिदेशक - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, सीसीआरयूएम द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय के दो विशेषज्ञ - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि - सदस्य

अनुसंधान अधिकारी (नैदानिक भेषज विज्ञान) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	अनुसंधान अधिकारी (नैदानिक भेषज विज्ञान)
2.	पदों की संख्या	02 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतनमान-3 (रु.15600-39100+ ग्रेड पे रु. 5400/-)
5.	चयन या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री 2. स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के बाद नैदानिक भेषज विज्ञान में 03 वर्ष का शोध/शिक्षण अनुभव
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली	सीधी भर्ती द्वारा 100%

	रिक्तियों का प्रतिशत	
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	लागू नहीं
12.	यदि कोई चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	1. महानिदेशक - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, सीसीआरयूएम द्वारा नामित इस विषय के दो विशेषज्ञ - सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व - सदस्य

अनुसंधान अधिकारी (प्रकाशन) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	अनुसंधान अधिकारी (प्रकाशन)
2.	पदों की संख्या	01 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतनमान-3 (रु.15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400/-)
5.	चयन या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता/जनसंचार में स्नातकोत्तर डिग्री ख) स्नातकोत्तर की डिग्री के बाद 3 वर्ष का शोध/शिक्षण अनुभव
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा 100%

11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	लागू नहीं
12.	यदि कोई चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	1. महानिदेशक-अध्यक्ष 2. महानिदेशक, सीसीआरयूएम द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय पर दो विशेषज्ञ - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व - सदस्य

अनुसंधान अधिकारी (शरीर क्रिया विज्ञान) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	अनुसंधान अधिकारी (शरीर क्रिया विज्ञान)
2.	पदों की संख्या	एक (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतनमान-3 (रु.15600-39100+ ग्रेड पे रु. 5400/-)
5.	चयन या गैर-चयन पद	
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शरीर क्रिया विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में शोध/शिक्षण में 03 वर्ष का अनुभव वांछनीय: 1. मानव शरीर क्रिया विज्ञान में अनुसंधान का अनुभव 2. भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान हेतु अभिवृत्ति
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं

9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा 100%
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	लागू नहीं
12.	यदि कोई चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	1. महानिदेशक - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, सीसीआरयूएम द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय पर दो विशेषज्ञ - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधि - सदस्य

अनुसंधान अधिकारी (सांख्यिकी) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	अनुसंधान अधिकारी (सांख्यिकी)
2.	पदों की संख्या	01 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतनमान-3 (रु.15600-39100+ ग्रेड पे रु. 5400/-)
5.	चयन या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सांख्यिकी/जैव सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री ख) स्नातकोत्तर की डिग्री के बाद 3 वर्ष का शोध/शिक्षण अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति द्वारा 100%

11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	इस ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा के साथ अनुसंधान सहायक (सांख्यिकी)/अन्वेषक (सांख्यिकी) के संवर्ग से
12.	यदि कोई चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	1. महानिदेशक-अध्यक्ष 2. महानिदेशक, सीसीआरयूएम द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय पर दो विशेषज्ञ - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व - सदस्य

अनुसंधान अधिकारी (यूनानी) के पद के लिए भर्ती नियम

1.	पद का नाम	अनुसंधान अधिकारी (यूनानी)
2.	पदों की संख्या	132 (कार्य भार के आधार पर घटबढ़ सकता है)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतनमान-3 (रु.15600-39100+ ग्रेड पे रु. 5400/-)
5.	चयन या गैर-चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य योग्यता	आवश्यक: क) सीसीआईएम द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान से यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.डी.) ख) सीसीआईएम के केंद्रीय रजिस्ट्रार या यूनानी/आईएसएम के राज्य रजिस्ट्रार में नामांकन
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले लोगों के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	2 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा हो या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा हो और	लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा 100%

	विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	लागू नहीं
12.	यदि कोई चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	1. महानिदेशक - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, सीसीआरयूएम द्वारा नामित किए जाने वाले इस विषय पर दो विशेषज्ञ - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व - सदस्य